भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1776
उत्तर देने की तारीख- 10/02/2026

यूनिक डिसेबिलिटी आईडी का विवरण

1776. श्री बापी हलदर:
श्री राजू बिष्ट:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार और जिला-वार दिव्यांगजनों की कुल संख्या कितनी है तथा दिव्यांगता की श्रेणी कितनी है;

(ख) अब तक जारी किए गए विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्डों की कुल संख्या कितनी है तथा राज्य में यूडीआईडी कार्ड जारी करने में इतनी देरी के क्या कारण हैं तथा साथ ही दिव्यांगता के प्रकार विशेष रूप से पश्चिम बंगाल तथा दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों सहित राज्य-वार एवं लिंग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यूडीआईडी योजना के अन्तर्गत जारी की गई धनराशि तथा यूडीआईडी योजना के कार्यान्वयन हेतु किये गये कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि एडीआईपी योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी पंजीकरण अनिवार्य है और यदि हां, तो एडीआईपी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी दिव्यांगों को यूडीआईडीकार्ड जारी की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की आधिकारिक वेबसाइट (https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/43469) पर उपलब्ध जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार दिव्यांगजनों की कुल संख्या तथा दिव्यांगता की श्रेणी का पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिनांक 05.02.2025 तक पूरे देश में 1,33,76,684 यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यूडीआईडी कार्ड जारी करने का कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अधिकृत अधिसूचित अस्पतालों के माध्यम से किया जाता है। चूंकि दिव्यांगता राज्य सूची का विषय है, इसलिए यूडीआईडी कार्ड जारी करने के कारण और समय-सीमा संबंधित राज्य सरकारों के पास उपलब्ध चिकित्सा अवसंरचना एवं उनके प्रयासों पर निर्भर करती है। दिनांक 05.02.2026 तक पश्चिम बंगाल तथा दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में यूडीआईडी कार्ड एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य/जिला	यूडीआईडी कार्ड की कुल संख्या
i.	पश्चिम बंगाल	2,19,853
ii.	दार्जिलिंग	1,792
iii.	कालिम्पोंग	627

(ग): यूडीआईडी उप-योजना के अंतर्गत, यूडीआईडी परियोजना के प्रचार-प्रसार, अस्पतालों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना की खरीद तथा मैनुअल दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों के डिजिटलीकरण हेतु राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को एकमुश्त सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में एक राज्य समन्वयक की नियुक्ति हेतु 50,000/- रुपये (रुपये पचास हजार मात्र) प्रति माह की दर से अनुदान भी दिया जाता है।
यूडीआईडी उप-योजना के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र -वार जारी की गई निधियों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ): दिव्यांगता मूल्यांकन के लिए नए दिशानिर्देशों को महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श से सरल मूल्यांकन मानकों के साथ दिनांक 12.03.2024 को तैयार कर अधिसूचित किया गया। देशभर में आठ क्षेत्रीय

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 6000 से अधिक दिव्यांगता मूल्यांकन विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया गया।

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप योजना) के अंतर्गत, प्रथम बार सहायक यंत्र/उपकरण प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के पास यूडीआईडी कार्ड या यूडीआईडी कार्ड का नामांकन नंबर, साथ ही दिव्यांगता प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। एडिप योजना के अंतर्गत पुनः लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के पास यूडीआईडी कार्ड होना आवश्यक है।

एडिप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए लाभार्थियों के मूल्यांकन के समय ही उनका यूडीआईडी कार्ड हेतु नामांकन भी कराया जाए।

*****

अनुबंध-I

"यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के विवरण' के संबंध में दिनांक 10.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1776 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार दिव्यांगजनों की संख्या – 2011									
राज्य का नाम	कुल दिव्यांगजन	दृष्टिबाधित	श्रवण बाधित	वाक् बाधित	गतिविषयक	मानसिक मंदता	मानसिक बीमारी	कोई अन्य	बहु-दिव्यांगता
जम्मू और कश्मीर	361153	66448	74096	18681	58137	16724	15669	66957	44441
हिमाचल प्रदेश	155316	26076	26700	8278	32550	8986	5166	29024	18536
पंजाब	654063	82199	146696	24549	130044	45070	21925	165607	37973
चंडीगढ़	14796	1774	2475	961	3815	1090	756	2583	1342
उत्तराखंड	185272	29107	37681	12348	36996	11450	6443	30723	20524
हरियाणा	546374	82702	115527	21787	116026	30070	16191	116821	47250
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	234882	30124	34499	15094	67383	16338	10046	37013	24385
राजस्थान	1563694	314618	218873	69484	427364	81389	41047	199696	211223
उत्तर प्रदेश	4157514	763988	1027835	266586	677713	181342	76603	946436	217011
बिहार	2331009	549080	572163	170845	369577	89251	37521	431728	110844
सिक्किम	18187	2772	5343	1577	2067	516	513	2459	2940
अरुणाचल प्रदेश	26734	5652	8127	1538	3235	1264	631	3878	2409
नागालैंड	29631	4150	8940	2294	3828	1250	995	4838	3336
मणिपुर	58547	19194	12891	2661	5315	4846	1459	8628	3553
मिजोरम	15160	2035	3354	1163	1976	1585	1050	1914	2083
त्रिपुरा	64346	10828	11695	4567	11707	4307	2909	11825	6508
मेघालय	44317	6980	12353	2707	5312	2332	2340	8717	3576
असम	480065	80553	101577	39750	76007	26374	18819	87461	49524

पश्चिम बंगाल	2017406	424473	315192	147336	322945	136523	71515	402921	196501
झारखंड	769980	180721	165861	46684	147892	37458	20157	112372	58835
ओडिशा	1244402	263799	237858	68517	259899	72399	42837	172881	126212
छत्तीसगढ	624937	111169	92315	28262	190328	33171	20832	76903	71957
मध्य प्रदेश	1551931	270751	267361	69324	404738	77803	39513	295035	127406
गुजरात	1092302	214150	190675	60332	245879	66393	42037	197725	75111
दमन और दीव	2196	382	309	149	620	176	89	264	207
दादरा एवं नगर हवेली	3294	429	715	201	682	180	115	483	489
महाराष्ट्र	2963392	574052	473271	473610	548418	160209	58753	510736	164343
आंध्र प्रदेश	2266607	398144	334292	219543	538934	132380	43169	409775	190370
कर्नाटक	1324205	264170	235691	90741	271982	93974	20913	246721	100013
गोवा	33012	4964	5347	5272	5578	1817	1675	5784	2575
लक्षद्वीप	1615	337	224	73	361	112	96	183	229
केरल	761843	115513	105366	41346	171630	65709	66915	96131	99233
तमिलनाडु	1179963	127405	220241	80077	287241	100847	32964	238392	92796
पुदुचेरी	30189	3608	6152	1824	9054	2335	853	4137	2226
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6660	1084	1219	531	1593	294	364	838	737
कुल	**26814994**	**5033431**	**5072914**	**1998692**	**5436826**	**1505964**	**722880**	**4927589**	**2116698**

अनुबंध - II

"यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के विवरण' के संबंध में दिनांक 10.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1776 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

यूडीआईडी उप-योजना के अंतर्गत राज्य-वार एवं वित्तीय वर्ष-वार व्यय (अनुबंध-II)						
क्र. सं.		2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल योग
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां (रू. लाख में)	जारी की गई निधियां (रू. लाख में)	जारी की गई निधियां (रू. लाख में)	जारी की गई निधियां (रू. लाख में)	(रू. लाख में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8.04	6.00	6.50	4.38	24.92
2	आंध्र प्रदेश	5.00	6.00	5.20	5.10	21.30
3	अरुणाचल प्रदेश	6.00	3.00	6.00	3.00	18.00
4	असम	7.13	3.00	4.00	9.44	23.57
5	बिहार	5.00	6.00	6.30		17.30
6	चंडीगढ़	6.75	4.37	6.30	6.58	24.00
7	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	6.00	4.72	10.72
9	दिल्ली	4.28	6.00	1.00		11.28
10	गोवा	3.00	3.00	3.00	12.75	21.75
11	गुजरात	6.00	3.00	4.43	6.72	20.15
12	हरियाणा	0	0	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	4.57	5.78	3.15	6.45	19.95
14	जम्मू और कश्मीर	16.00	0	0	0	16.00

15	झारखंड	0	8.49	3.00	5.41	16.90
16	कर्नाटक	0	3.00	6.23	5.25	14.48
17	केरल	3.00		0	0	3.00
18	लद्दाख	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
21	महाराष्ट्र	3.00	5.66		7.18	15.84
22	मणिपुर	18.00	6.00	3.00	3.30	30.30
23	मेघालय	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	6.00	6.00	4.00	5.00	21.00
25	नागालैंड	3.65	6.00	4.00	2.00	15.65
26	ओडिशा	0	0	0	0	0
27	पुदुचेरी	4.00	0	2.70	5.66	12.36
28	पंजाब	0	5.09	0	3.15	8.24
29	राजस्थान	3.00	2.91	3.00	3.00	11.91
30	सिक्किम	6.00	7.50	3.00	3.15	19.65
31	तमिलनाडु	5.67	3.00	0	0.94	9.61
32	तेलंगाना	0	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	15.82	0	3.52	1.46	20.80
34	उत्तर प्रदेश	9.76	33.70	1.20	7.83	52.49
35	उत्तराखंड	3.00	6.00	3.15	6.15	18.30
36	पश्चिम बंगाल	6.00	0	0	0	6.00
	कुल	**158.67**	**139.50**	**88.68**	**118.62**	**505.47**

*****